



# मैने हस्ताक्षर कर दिए ह एवरी वुमन ट्‌रिटी

महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा की समाप्तिका अगला चरण।

---

हस्ताक्षर



एवरी  
वुमन  
ट्‌रिटी



एवरी

वुमन

ट्रिटी

## राष्ट्रों से लोगों का आह्वान

मैं हर जगह, हर महिला और लड़की के प्रति हर प्रकार की हिंसा से मुक्ति/जिंदगी का समर्थन करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा के उन्मूलन के लिए वैश्विक संधि के आह्वान में भागीदारी करता/करती हूँ।

### एवरी वुमन ट्रिटी प्रस्तुत करने वाले पक्ष:

हर क्षेत्र में, जिसमें सार्वजनिक, नज्दी तथा वर्चुअल डोमेन शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, लड़कियों तथा महिलाओं के पूरे जीवन काल में हिंसा रहति जिंदगी के अधिकार की पुष्टि करना;

हर क्षेत्र में सभी आयु तथा योग्यताओं की लड़कियों तथा महिलाओं के प्रति हर प्रकार की हिंसा नदि करना;

यह याद करना कि लड़कियों तथा महिलाओं के प्रति हिंसा से व्यक्ति, परिवारों तथा समाज का विकास तथा समृद्धि अवरोध होती है, तथा यह महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण संभाव्यता, तथा साथ ही उनके समुदायों, राष्ट्रों तथा दुनिया के विकास को अवरोधित करती है;

लड़कियों तथा महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने वाले संयुक्त राष्ट्र संधि द्वारा अंगीकृत चार्टर तथा मौजूदा संधियों, संकल्पों, घोषणाओं तथा सफारिशों को नोट करना;

अभी भी चिंता होना कि इन सभी उपायों के बावजूद, लड़कियों और महिलाओं के प्रति विसृत तथा व्यवस्थाजन्य हिंसा का अपर्याप्त प्रतियुत्तर के चलते, आगे बढ़ना जारी है;

संकल्प करना कि वैश्विक संधि के अंगीकरण से लड़कियों और महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन में देश संबंधित पक्षों (वभिन्न देशों की सरकारों) द्वारा कानूनों, नीतियों तथा उपायों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए, लड़कियों और महिलाओं की संरक्षा को सशक्त किया जाएगा;

अनुच्छेद 1: सभी राष्ट्रीय पक्षों द्वारा व्यापक राष्ट्रीय सुधारों को अधिनियमिति तथा संवर्धति किया जाएगा:

1. महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा के उन्मूलन में कानूनों में सुधार करना।
2. स्वास्थ्य, न्याय, तथा सुरक्षा पेशेवरों के माध्यम से अंतःक्षेपों को लागू करना, जो पीड़िता को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे न्यायाधीश, पुलिस, चिकित्सक और नर्स आदि।
3. हिंसा के शिकार व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करना
4. प्रभावकता के कड़े साक्ष्य पर आधारित रोकथाम शक्ति अभियानों का अधिनियमन करना।

अनुच्छेद 2: अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट हस्तक्षेपों के वित्त पोषण के लिए सरकारों और /या अंतरराष्ट्रीय तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वैश्विक कार्यान्वयन नधि की स्थापना करना।

मैं एतद्वारा राष्ट्रों को संधि को अंगीकार करने का अनुरोध करता/ करती हूँ, जिसमें सरकारों और नागरिकों को समान रूप से यह अध्यादेशित किया जाएगा कि वे महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा की इस महामारी की समाप्ति के लिए अपेक्षित कार्य करेंगे।

नाम

ईमेल

हस्ताक्षर